

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) का कार्यालय झारखण्ड, राँची ।

का०आ०सं०/कोविड-19/2021-22/237

दिनांक:- 12.04.2021

कार्यालय आदेश

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०) के कार्यालय में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन) के आदेशानुसार दिनांक 12.04.2021 से अगले आदेश तक सहायता कोषांग को बाहरी व्यक्तियों के लिए बंद किया जाता है साथ ही बाहरी व्यक्तियों को इस कार्यालय में प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है उन्हें सहायता कोषांग को दूरभाष नम्बर **0651-2412582** पर सम्पर्क करना होगा जो इसे अग्रसारित करेंगे इस दौरान सहायता कोषांग में कार्यरत कर्मचारियों को रेकॉर्ड प्राप्ति में सहयोग करना होगा ।

ह०/-

वरीय लेखा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:-

1. सचिव प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) झारखण्ड, राँची।
2. व्यक्तिगत सहायक वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन) ।
3. व्यक्तिगत सहायक उप महालेखाकार/ वन एवं कार्य ।
4. सभी वरीय लेखा अधिकारी ।
5. सूचना पट्ट ।

वरीय लेखा अधिकारी (प्रशासन)